



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2498]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 2018/आषाढ़ 14, 1940

No. 2498]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 2018/ASHADHA 14, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2018

का.आ. 3251(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 99, 183 और 94ए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
99	30	उत्तराखंड राज्य में सितारगंज के निकट रारा-9 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश राज्य में पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली और इलाहाबाद और मध्य प्रदेश में मंगावन, रीवा, कटनी, जबलपुर [जबलपुर से दमोह खंड 101 किमी को छोड़कर], मंडला चिपली, सिमगा, रायपुर, धमतरी, केसकल, जगदलपुर और छत्तीसगढ़ में कोंटा, आंध्र प्रदेश राज्य में नेल्लीपाका, भद्राचलम, पलोंचा, कोट्टागुंडम, तिरावुरु, मैलावरम को जोड़ते हुए और कोंडापल्ली के निकट रारा-65 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
183	56	राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ के निकट रारा-27 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ

		होकर नोंबाहेडा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, गुजरात राज्य में झलोड, उंबी, दाहोद, मध्य प्रदेश राज्य में भाबरा, अलीराजपुर [अलीराजपुर - चांदपुर - जोबाट खंड को छोड़कर] , गुजरात राज्य में बोदेली, छोटा उदयपुर, राजपिपला, नेतरंग, व्यारा, बांसदा, धर्मपुर को जोड़ते हुए वापी में रारा-48 पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
94ए	927ए	राजस्थान राज्य में रारा-27 पर स्वरूपगंज से प्रारंभ होकर कोटरा, खेरवाड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा को जोड़ते हुए और मध्य प्रदेश में रतलाम [रतलाम से बांसवाड़ा के निकट राजस्थान/म. प्र. सीमा खंड को छोड़कर] पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14013/5/2012-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणः मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार सं. का.आ. 3033 (अ), तारीख 22 जून, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2018

S.O. 3251(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial numbers 99, 183 & 94A and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Sl. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
99	30	The highway starting from its junction with NH-9 near Sitarganj in the State of Uttarakhand connecting Pilibhit, Bareilly, Shahjahanpur, Sitapur, Lucknow, Raibareli and Allahabad in the State of Uttar Pradesh Mangawan, Rewa, Katni, Jabalpur [excluding Jabalpur to Damoh Section 101 Km] , Mandla in the State of Madhya Pradesh, chipli, Simga, Raipur, Dhamtari, Keskhal, Jagdalpur and Konta in the State of Chhatisgarh, Nellipaka, Bhadrachalam, Paloncha, Kottagundam, Tiravuru, Mailavaram and terminating at its junction with NH-65 near Kondapalle in the State of Andhra Pradesh
183	56	The highway starting from its junction with NH-27 near Chhitarugarh connecting Nombahera, Pratapgarh, Banswara in the State of Rajasthan, Jhalod, Umbi, Dahod in the State of Gujarat, Bhabra, Alirajpur [excluding Alirajpur-chandpur-Jobat Section] in the State of Madhya Pradesh, Bodeil, Chhota, Udaipur, Rajpipla, Netrang, Vyara, Bansda, Dharampur and terminating at Vapi on NH-48 in the State of Gujarat
94A	927A	The highway starting from Sawarupganj, on N.H-27 connecting Kotra, Kherwara, Doongarpur, Sagwara, Banswara, in the State of Rajasthan and terminating at Ratlam [excluding Ratlam to Rajasthan/MP Border near Banswara] in the state of Madhya Pradesh.

[F. No. NH-14013/5/2012-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Foot note: - The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O.3033 dated the 22nd June, 2018

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2018

का.आ. 3252(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 13 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“13.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 [किमी 243.600 से किमी 651.500 (रीवा से कटनी से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 12, सं. 12ए, 12ए वि. [किमी 231 दमोह से ओरछा] , सं. 26ए, सं. 27, सं. 59 [किमी 9.500 से किमी 171.000 (इंदौर – झबुआ – म. प्र./गुजरात सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 59ए, सं. 69 (किमी 0.60 से किमी 8.300 और किमी 20.700 से किमी 256.400 तक खंड को छोड़कर), सं. 75 [(किमी 0.000 से किमी 85.000 ग्वालियर-झांसी खंड के ग्वालियर बाइपास सहित ग्वालियर से म. प्र./ उ. प्र. सीमा को छोड़कर), सं. 76 [किमी 0.000 से किमी 30.000 (मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से शिवपुरी) तक खंड को छोड़कर], सं. 78, सं. 86, सं. 92, नई रारा सं. 339बी, नई रारा सं. 45वि., नई रारा सं. 56 [अंबुआ –दाहोद खंड (29 किमी)] , नई रारा सं. 347सी, नई रारा सं. 552वि., नई रारा सं. 346, नई रारा सं. 752बी, नई रारा सं. 752सी, नई रारा सं. 543, नई रारा सं. 146बी, नई रारा सं. 347बी, नई रारा सं. 43वि., नई रारा सं. 135वी और नई रारा सं. 943 मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।	मध्य प्रदेश राज्य सरकार”
------	---	--------------------------

[फा.सं. एनएच-14013/5/2012- पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-3033(अ), तारीख 22 जून, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATIONNew Delhi, the 5th July, 2018

S.O. 3252(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

“13.	So much of National Highways No. 7 [excluding from Km. 243.600 to Km. 651.500 (Rewa to Katni to Madhya Pradesh/Maharashtra border)], No.12, No. 12A, 12A Extn [231 km Damoh to Orchha], No. 26A, No. 27, No. 59 [excluding from km. 9.500 to km. 171.000 (Indore-Jhabua-MP/Gujarat border)], No. 59A, No. 69 (excluding from km. 0.60 to km. 8.300 and from km. 20.700 to km. 256.400), No.75 [excluding from km. 0.000 to 85.000 of Gwalior to MP/UP Border including Gwalior bypass of Gwalior-Jhansi section], No.76 [excluding from Km. 0.000 to Km.30.000 (Madhya Pradesh/Rajasthan border to Shivpuri)], No.78, No.86, No.92, new NH No. 339B, new NH No. 45 extn, New NH No. 56 [Ambua-Dahod Section (29 Km)], new NH No. 347C, new NH No. 552 Extn, new NH No. 346, new NH No. 752B new NH No. 752C, new NH No. 543, new NH No. 146B, new NH No. 347B, new NH No. 43 Extn, new NH No. 135B and new NH No. 943 as are situated within the State of Madhya Pradesh.	State Government of Madhya Pradesh.”.
------	--	---------------------------------------

[F. No. NH-14013/5/2012-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Foot note:- The principal notification was published *vide* number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 3033 (E) dated the 22nd june, 2018.